<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल</u>

रिट याचिका आपराधिक संख्या 1974/2022

आशुतोष नेगी व अन्य ----------याचिकाकर्तागण

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता सुश्री पुष्पा जोशी और विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीश नेगी उपस्थित ।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ---------प्रत्यर्थीगण

उत्तराखंड राज्य की ओर से
श्री एस. एन. बाबुलकर एडवोकेट जनरल
डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री जे. एस. विर्क उपस्थित ।
सीबीआई की ओर से भारत के
उप सॉलिसिटर जनरल श्री राकेश थपलियालऔर
विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ललित शर्मा उपस्थित ।

<u>सुनवाई की तिथि- 26-11-2022</u>
<u>फैसले की तारीख- 21-12-2022</u>

<u>न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा।</u>

1. रिट याचिका मूल रूप से याचिकाकर्ता सं० 1 द्वारा दायर की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 365 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "दंड संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत पुलिस स्टेशन - लक्ष्मणझूला ब्लॉक, यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में दर्ज मुक़दमा अपराध संख्या 01 में सूचनाकर्ता है। दिनांक 11.11.2022 के आदेश के आधार पर, मृतक लड़की के माता-पिता द्वारा हस्तक्षेप के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया गया और उन्हें रिट याचिका के याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

2. इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की है, जिसमें प्रतिवादियों को एस0एच0ओ0, पुलिस स्टेशन - लक्ष्मणझूला, ब्लॉक - यमकेश्वर, जिला - पौड़ी गढ़वाल द्वारा दर्ज मामले की

अन्वेषण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "सीबीआई" के रूप में संदर्भित) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाय । याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष अन्वेषण की स्थिति आख्या दाखिल करने के लिए अग्रेतर प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने अभिकथित किया कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य एक हाई प्रोफाइल और शक्तिशाली व्यक्ति / रसूखदार व्यक्ति है जो राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा और वनंत्रा रिसॉर्ट का मालिक है, जिसमें मृतक युवा लड़की (नाम गुप्त रखा गया) घटना की तारीख से लगभग 20 दिन पहले रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि मृतक लड़की 19.09.2022 से उपरोक्त रिसॉर्ट से लापता हो गई और कहा कि पुलकित आर्य ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक लड़की के पिता ने पटवारी सर्कल यमकेश्वर के समक्ष गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके क्षेत्राधिकार में रिसॉर्ट स्थित था। उक्त मृत लड़की के लापता होने का मुद्दा भी विभिन्न समाचार चैनलों में रिपोर्ट किया गया था। तदोपरांत, याचिकाकर्ता सं० 1 ने 19.09.2022 को राजस्व निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट दर्ज की। जब मामला सोशल मीडिया में रिपोर्ट किया गया, तो मामले को नियमित सिविल पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया और नियमित सिविल पुलिस ने मामले की अन्वेषण का प्रभार संभाला और एस०एच०ओ०, पुलिस स्टेशन – लक्ष्मणझूला द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 01/2022 के रूप में मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता सं० 1 एक समाचार रिपोर्टर है और वेब समाचार पोर्टल का संचालन कर रहा है और एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने मामले में रुचि ली और सभी संबंधितों के ध्यान में लाया और मामला व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया और संवेदनशील हो गया। नियमित पुलिस ने 23.09.2022 को अन्वेषण के दौरान अभियुक्त अभियुक्त पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया और धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध की बढ़ोतरी की गयी । अभियुक्त व्यक्तियों ने कथित तौर पर विवेचना अधिकारी के समक्ष अपराध होने के बारे में संस्वीकृति दी। अन्वेषण के अनुक्रम में, वनंत्रा रिसॉर्ट के हाउस कीपिंग स्टाफ अभिनव नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि घटना की तारीख पर, पुलकित आर्य और अंकित द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद, उसे जबरन रिसॉर्ट से ले जाया गया था। रिसॉर्ट के कर्मचारियों के साथ उनकी आखिरी टेलीफोन बातचीत जहां वह हत्या के अत्यधिक डर में लग रही थीं और वह रिसॉर्ट के अपने सहयोगी

/ कर्मचारियों से मदद मांग रही थीं और 18.09.2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतका के अपने दोस्त के साथ कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं और ये सभी मैसेज पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने आए। राज्य सरकार ने डी०आई०जी० रैंक के एक वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष अन्वेषण दल (जिसे बाद में संक्षिप्तता के लिए "एसआईटी" के रूप में संदर्भित किया गया) का गठन किया। अभियुक्त के संस्वीकृति कथन के आधार पर 24.09.2022 को चीला बैराज से मृतक का शव बरामद किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अग्रेतर अभिकथन किया कि मृत लड़की का उसके दोस्त के साथ ऑडियो रूपांतरण और चैट संदेश थे कि उसे रिसॉर्ट के कुछ हाई प्रोफाइल मेहमानों को यौन सेवा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसने बाध्य होने से इनकार कर दिया और ऐसे प्रयास का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का विशिष्ट मामला यह है कि उक्त हाई प्रोफाइल अतिथि की पहचान इस तथ्य के बावजूद उजागर नहीं की गई है कि वह मुख्य अभियुक्त है, जिसके कारण मृतक की हत्या हुई है। विशिष्ट रूप से यह भी अभिकथित किया कि अन्वेषण अभिकरण हाई प्रोफाइल अतिथि के नाम को छिपाने की प्रयास कर रही है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को मामले में की गई अन्वेषण पर गंभीर संदेह है और इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि विवेचना सी०बी०आई० को सौंप दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का अग्रेतर मामला यह भी है कि जिस कमरे में मृतक पर कथित रूप से हमला किया गया था, उसकी फोरेंसिक अन्वेषण नहीं की गई थी और स्थानीय विधान सभा सदस्य (विधायक) सुश्री रेणु बिष्ट के निर्देश पर उसे जानबूझकर ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि रिसॉर्ट को केवल साक्ष्य नष्ट करने के लिए ध्वस्त किया गया था। आज तक न तो अभियुक्तगणों का डीवीआर और न ही टेलीफोन बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति भी याचिकाकर्ताओं को नहीं दी गई है और याचिकाकर्ताओं को काफी हफ्तों से अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है।

3. मामले की नए सिरे से सुनवाई के समय सरकार को नोटिस दिया गया था। यहां यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को प्रत्यर्थीगण के रूप में रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

4. एसआईटी द्वारा एक प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह अभिकथन किया गया है कि एसआईटी को अन्वेषण सौंपे जाने के तुरंत बाद, वनंत्रा रिसॉर्ट के कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान धारा 161 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "कोड" के रूप में संदर्भित) के तहत दर्ज किए गए थे और संहिता की धारा 164 के तहत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। बयानों और सबूतों के आधार पर, दंड संहिता की धारा 354 A के तहत अपराध 05.10.2022 को जोड़ा गया है। अग्रेतर एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) b को अन्वेषण में जोड़ा गया है और दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपराध को 08.10.2022 को हटा दिया गया है। मृतक और अभियुक्त के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल अभिलेख का विश्लेषण किया गया है। पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विधिवत अध्ययन किया गया है और इसके प्रदर्शों को फोरेंसिक, रासायनिक और सीरोलॉजिकल अन्वेषण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है। अभियुक्तगणों और गवाहों के डीवीआर, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए सीएफएसएल, चंडीगढ़ भेजा गया है। इन सभी परीक्षाओं की आख्या का अभी प्रतीक्षा है। गवाहों के बयान, मृतक के व्हाट्सएप चैट मैसेज की कॉल रिकॉर्डिंग, से यह पता चला है कि अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित @ पुलकित गुप्ता ने वनंत्रा रिसॉर्ट में मृतका को परेशान किया और उस पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाया। यद्यपि, मृतका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और यह युक्तिगत रूप से किल्पत किया जा सकता है कि वह रिसॉर्ट में चल रही अनैतिक गतिविधियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर सकती थी और आशक्ति होने के कारण थी कि खुलासे से रिसॉर्ट का नाम खराब होगा, अभियुक्त ने उसकी हत्या कर दी और उसे ऋषिकेश और वापस जाने के बहाने बाहर ले गए ओर वापसी में उन्होंने कनाऊ पुल के पास एक नहर में फेंक दिया, जो पशुलोक बैराज और रिसॉर्ट के बीच में है। फलस्वरूप, अभियुक्त ने मनगढ़ंत कहानी के आधार पर, मामले की अन्वेषण को गुमराह करने के इरादे से राजस्व पुलिस में मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उपरोक्त रिपोर्ट अभियुक्त का पूर्वनियोजित कार्य था, जो आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें

अभियुक्त पुलकित आर्य के आपराधिक इतिहास से और अधिक अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके खिलाफ वर्तमान के अलावा कई मामले लंबित हैं। मुकदमा अपराध संख्या 595/2016 में दंड संहिता की धारा 109, 120-बी, 34, 419, 420, 459, 471 के तहत पुलिस स्टेशन - कोतवाली, हरिद्वार में दर्ज है और मुकदमा अपराध संख्या 179/2009में दंड संहिता की धारा 447 के तहत दंड संहिता की धारा 447 के तहत मामला दर्ज है।

5. प्रत्यर्थीओं ने इससे से इनकार किया कि एसआईटी पक्षपातपूर्ण अन्वेषण कर रही है और कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अग्रेतर अभिलिखित किया है कि अन्वेषण के क्रम में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने उस कमरे का परिक्षण किया था जहां मृतक रिसॉर्ट में रह रहा था और उसके बाद रिसॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। अभिलेख से यह भी पता चला है कि पुलिस डीआईजी सुश्री पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा अन्वेषण के दौरान रिसॉर्ट के अंदर अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के कमरों की भी फोरेंसिक परीक्षण की गई थी। जिला मोबाइल फोरेंसिक दल ने कमरे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की और मृतक के सामान को इकट्ठा किया था। फॉरेंसिक दल को फिंगर प्रिंट या जैविक साक्ष्य जैसे कोई संभावित साक्ष्य नहीं मिले। अंकित, पुलकित और सौरभ भास्कर के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए थे।

6. अभियुक्त पुलकित और मृतक का पुराना मोबाइल फोन बरामद नहीं किया जा सका, क्योंकि उसने उसे चीला नहर में फेंक दिया था। सभी प्रयासों के बावजूद मोबाइल फोन को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसमें उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या को ट्रैक करना भी शामिल था। एसआईटी ने यह भी उल्लेख किया कि सीडीआर और आईडीपीआर डेटा के अनुसार, मृतक के फोन का अंतिम स्थान चीला नहर के पास था। पुलकित ने नया फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसे फॉरेंसिक परीक्षण के लिए विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है।

7. याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप कि मृतक का पोस्टमार्टम उचित रूप से नहीं किया गया था। प्रत्यर्थीओं ने अभिकथन किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के डॉक्टरों का एक पैनल (इसके बाद इसे "एम्स" के लिए संक्षिप्तता) ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की एक प्रति मृतक के पिता और भाई को 30.09.2022 को दिखाई गई। इसकी एक हार्ड कॉपी मृतक के पिता को भी प्रदान की गई है, जो इस मामले में याचिकाकर्ता सं0 2 हैं।

8. प्रत्यर्थीओं ने अग्रेतर अभिकथन किया कि एस0आई0टी0 को किसी भी गवाह को धमकाने का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत नहीं मिली है। जिला पुलिस को गवाहों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह अभिकथन गया है कि अन्वेषण टीम गवाहों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें कोई संत्रास या धमकी नहीं मिली है। प्रत्यर्थीओं ने यह भी प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता सं0 1 अन्वेषण को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को उकसा रहा है। उसके खिलाफ चार आपराधिक मामले लंबित हैं। तथापि, राज्य के विद्वान उप अधिवक्ता श्री जे एस विर्क ने कहा कि वे वर्तमान में ऐसी याचिकाओं को बहुत महत्व देते हैं।

9. इस मामले में याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा एक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में, उन्होंने आरोप लगाया है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले को निमित पुलिस को स्थानांतरित करने तक राजस्व प्राधिकरण के अन्वेषण अधिकारी द्वारा कुछ भी सारभूत नहीं किया गया। अभियुक्तगणों के बयान दर्ज किए गए थे, जिनका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के बाद भी कोई पुलिस अभिरक्षा नहीं मांगी गई और अभियुक्तगणों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ नहीं की गई। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मृतका के पिता ने विशिष्ट आरोप लगाया है कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम परीक्षण के समय कोई महिला डॉक्टर उपस्थित नहीं थी। मृतक की मौत के छठे दिन उसका शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने अभिकथित किया कि मृतक की मौत डूबने से हुई है, लेकिन

कोई डायटम टेस्ट नहीं किया गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि एक भौतिक गवाह पुष्प दीप बरोदिया, जो मृतक का दोस्त है, जिसके साथ उसने व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान किया था, से पूछताछ नहीं की गई थी और उसका बयान संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज नहीं किया गया है।

10. यद्यपि , रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में, उनका बयान धारा 164 के तहत दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वह जम्मू से संबंधित हैं (लेकिन बाद में, अन्वेषण टीम ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की है और संहिता की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है)।

11. याचिकाकर्ता सं0 1 ने अग्रेतर कहा कि डीवीआर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, लेकिन वे या तो गायब हैं या कहा जाता है कि वे दूषित हो गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं, जो इस मामले में अन्वेषण के तरीके के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। याचिकाकर्ता सं0 1 द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि मृतक को हाई प्रोफाइल व्यक्ति को अवैध सेवा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था और अभी तक, उन्होंने हाई प्रोफाइल व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

12. पीड़िता के पिता द्वारा एक और प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता सं0 2 है, अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता सं0 1 द्वारा अपनाए गए रुख की पुनरावृत्ति की, लेकिन उन्होंने आगे यह भी सम्मिलित किया कि याचिकाकर्ता सं0 1 ने अपनी मृत बेटी के लिए न्याय हासिल करने में उनकी मदद की है और धन, जो उन्होंने विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया है, उन्हें दिया गया है। यह भी कहा गया है कि उन्हें राज्य द्वारा 25,00,000/- रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। सुनवाई के अनुक्रम में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि यह दुर्लभतम मामला है, क्योंकि एसआईटी आम जनता के विश्वास को बहाल करने / प्राप्त करने में विफल रही है, इसलिए, मामले की अन्वेषण सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय पुलिस अभिकरण को सौंप दी जानी चाहिए।

13. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया:

"i. एसआईटी पक्षपातपूर्ण तरीके से मामले की अन्वेषण कर रही है।

ii. उक्त क्षेत्र के विधायक के निर्देश पर अपराध स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था।

iii. मुख्य अभियुक्त का भाई उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष है।

iv. मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

v. अपर पुलिस अधीक्षक का एक बयान था, जो उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन में दर्ज किया गया है कि संपत्ति को जब्त और सील करने की जिम्मेदारी एसडीएम के हाथ में है।

vi. पुलकित आर्य की आयुर्वेदिक फैक्ट्री को जला दिया गया, जो रिसॉर्ट से सटा हुआ है।

vii. मृतक की हत्या के छह दिन बाद, पोस्टमार्टम किया गया, वह भी महिला डॉक्टर की उपस्थिति के बिना।

viii. पुष्प दीप बडोदिया के साथ मृतक के व्हाट्सएप चैट संदेशों से यह स्पष्ट है कि मृतक पर पुलकित द्वारा हाई प्रोफाइल व्यक्ति की सेवा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पुष्प दीप बडोदिया, जो मृतक का दोस्त है, की ठीक से अन्वेषण नहीं की गई है ताकि वह हाई प्रोफाइल व्यक्ति की पहचान कर सके।

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों **रिया चक्रवर्ती बनाम राज्य सरकार बिहार और अन्य, (2020) 20 एससीसी 184, और अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ, (2020) 14 एससीसी 12**. पर विश्वास व्यक्त किया।

14. अधिवक्ता श्री नवनीश नेगी द्वारा यह भी बहुत सशक्त तर्क दिया गया है कि एसआईटी, याचिकाकर्ता सं0 1 की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिनके पास एलएलबी और मास्टर्स इन टूरिज्म की

डिग्री है और यद्यपि उनके पास जन संचार में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। उन्होंने यह भी विनिर्दिष्ट किया कि इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है कि रिसॉर्ट का दौरा करने वाला वीआईपी अतिथि कौन था। कमरे की चादर (जहां मृतक पर कथित रूप से हमला किया गया था) को एसआईटी द्वारा जब्त नहीं किया गया था; पुलिस ने अभियुक्तगणों की पुलिस अभिरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की और राज्य सरकार याचिकाकर्ता संख्या- 2 और 3 को 25,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करके याचिकाकर्ताओं की आवाज को चुप कराने की कोशिश कर रही है।

15. डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री जे.एस.विर्क ने कहा कि घटना के तीन दिन बाद अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। एम्स के दो बेहद सक्षम डॉक्टरों ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। मृतका की मौत डूबने से हुई पाई गई और न तो बलात्कार का कोई संकेत था और न ही उस पर कोई यौन हमला था। शिवम, अभिनव, विवेक आर्य, अमन राय और कुशराज के बयान संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं और आयुष की व्हाट्सएप चैट भी जब्त की गई है।

16. गुण-दोष के आधार पर मामले को लेने से पहले, हमारी ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह के मामलों में दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करना उचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम संरक्षण लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए समिति, पश्चिम बंगाल, (2010) 3 एससीसी 571,** मामले में उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 448, 436, 364, 302, 201 के साथ आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9-बी के तहत अपराधों से जुड़े मामले की अन्वेषण सौंपने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता की अन्वेषण की गई , जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण 04.01.2001 को कुछ 50-60 उपद्रवियों द्वारा कई व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिधारित किया कि *संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अंतिम विश्लेषण निर्देश में सीबीआई को उस राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर कथित रूप से किए गए संज्ञेय अपराध की*

अन्वेषण करने का निर्देश न तो संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करेगा और न ही शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और विधि में मान्य होगा। नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न केवल शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बल्कि सामान्य रूप से भाग III द्वारा और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी है। यद्यपि , फैसले से पृथक होने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि *यह इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के अधीन शक्ति के अत्यधिक उपयोग के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले में अन्वेषण करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करने का सवाल है, यद्यपि यह तय करने के लिए कोई लचीला दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह के आदेश को नियमित मामले के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए या केवल इसलिए कि एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी पूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और अन्वेषण में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है। अन्यथा सीबीआई के पास बड़ी संख्या में मामलों की बाढ़ आ जाएगी और सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की भी ठीक से अन्वेषण करना मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक अन्वेषण के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकता है।*

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समान दृष्टिकोण **साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2008) 2 एससीसी 409, में** अपनाया गया है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 10 में कहा है कि *सीबीआई बनाम राजेश गांधी (1996) 11 एससीसी 253 मामले में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि किसी*

अपराध की अन्वेषण किसी विशेष अभिकरण द्वारा की जाए। हम पूर्वोक्त निर्णय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। एक पीड़ित व्यक्ति केवल यह दावा कर सकता है कि वह जिस अपराध का आरोप लगाता है, उसकी ठीक से अन्वेषण की जाए, लेकिन उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी पसंद की किसी विशेष अभिकरण द्वारा इसकी अन्वेषण की जाए।

18. उक्त निर्णय के पैरा 33 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *सचिव, लघु सिंचाई और ग्रामीण के मामले में इंजीनियरिंग। सर्विसेज, यूपी बनाम सहंगू राम आर्य (2002) 5 एससीसी 521, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालय के पास सीबीआई अन्वेषण का आदेश देने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस तरह की सामग्री प्रथम दृष्टया सीबीआई या किसी अन्य समान अभिकरण द्वारा अन्वेषण की मांग करने वाले मामले का खुलासा करती है। सीबीआई अन्वेषण का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पार्टी कुछ आरोप लगाती है।*

19. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2014) 8 एससीसी 766** के मामले में वित्तीय घोटाले की अन्वेषण के मुद्दे पर विचार करते हुए, जिसमें कई फर्जी कंपनियों ने भोले-भाले निवेशकों से निवेश के रूप में धन एकत्र किया था, लेकिन उन्हें वापस नहीं कर रही थीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में लेते हुए मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

20. हाल ही में तय किए गए एक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमांशु कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 884** मामले में निर्णय सुनाया, निर्णय के पैराग्राफ 44 में भी इसी सिद्धांत की पुनरावृति की कि *अब यह स्थापित विधि है कि यदि कोई नागरिक, जो उच्च सरकारी अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ अपने विधि या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को प्रभावित करने वाले संज्ञेय अपराध के आरोप में एक आपराधिक मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता है, सीबीआई द्वारा उक्त कथित अपराध की अन्वेषण के निर्देश के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है, ऐसी प्रार्थना केवल मांगने पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। एक उपयुक्त*

मामले में जब न्यायालय को लगता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण उचित दिशा में नहीं है, और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए और यदि उच्च पुलिस अधिकारी कथित अपराध में शामिल हैं, तो न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में सीबीआई जैसी स्वतंत्र अभिकरण को अन्वेषण सौंपने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद भी न्यायालय को उचित मामले में सीबीआई जैसी स्वतंत्र अभिकरण को अन्वेषण सौंपने का अधिकार है।

21. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक न्यायालयों की असाधारण शक्ति सीबीआई को अन्वेषण करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित के मामले में रेखांकित किया गया है। **लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल** (सुप्रा) के बाद में बल दिया गया , जैसा कि पूर्वोक्त कथित है, यह पर्यवेक्षण करते हुए कि यद्यपि इस संबंध में कोई लचीला दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस तरह के आदेश को नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता है या केवल इसलिए कि पक्षकारों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं और असाधारण स्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां विचारण में विश्वसनीयता और विश्वासउत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना राष्ट्रीय हो सकती है या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यद्यपि न्यायोचित, निष्पक्ष और प्रभावी अन्वेषण की कमी की संतुष्टि इसकी विश्वास और विश्वसनीयता को कम करती है, लेकिन आगे की अन्वेषण या फिर से अन्वेषण करने, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश के लिए पूर्व शर्त है। *स्वतः मामले की लंबित रखना,* किसी भी रूप में निषेधात्मक बाधा नहीं हो सकता है।

22. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के सम्परीक्षण से किसी भी केंद्रीकृत अभिकरण को अन्वेषण के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

i. किसी आपराधिक मामले की अन्वेषण मात्र मांग किये जाने पर नियमित पुलिस से केंद्रीकृत अभिकरण को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

ii. उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीबीआई को मामले की अन्वेषण के लिए इस तरह का निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति है, लेकिन इस तरह के आदेश को दुर्लभ और असाधारण मामले में बहुत सावधानी के साथ पारित किया जाना चाहिए, इसे नियमित मामले के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है।

iii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों को भी सीबीआई को स्थानांतरित किया जा सकता है।

iv. जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य पुलिस उचित, निष्पक्ष, निष्पक्ष और प्रभावी अन्वेषण नहीं कर रही है जिससे उसकी विश्वसनीयता और विश्वसनीयता कम हो रही है, तो भी अन्वेषण के हस्तांतरण का ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है।

23. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता झारखंड की खंडपीठ **2021 का डब्ल्यूपीपीआईएल संख्या 2696** दिनांक 03.08.2021, के निर्णय पर विश्वास करते हैं, जिसे डिवीजन बेंच ने अपने विचार किया था, उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की अन्वेषण सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए, जब अन्वेषण अभिकरण की विश्वसनीयता खो जाती है। उपरोक्त मामला धनबाद के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या से संबंधित है, जिनकी दिन के शुरुआती घंटों में हत्या कर दी गई थी, जब वह सुबह सड़क पर टहल रहे थे। उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

24. उन्होंने **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ अपने सचिव बनाम पंजाब राज्य, (1994) 1 एससीसी 616 के मामले,** फैसले पर भी विश्वास वक्त किया, जहां एक अधिवक्ता के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने इस विवाद पर अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे, जिसने क्षेत्र में अधिवक्ता

बिरादरी को चौंका दिया था। अग्रेतर संपरीक्षण किया कि यह उसको ही ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से पता है कि, उच्च न्यायालय अभिलेख पर स्पष्ट तथ्यों से पूरी तरह से बेख़बर हो गया और संविधान के तहत उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हमारे विचारशील विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि उस मामले में उच्च न्यायालय कम से कम इतना तो कर सकता था कि वह अधिवक्ता और उसके परिवार के रहस्यमय और सबसे दुखद अपहरण और कथित हत्या की स्वतंत्र अन्वेषण/अन्वेषण का निर्देश देता।

25. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित वाद बार एसोसिएशन बनाम मणिपुर राज्य (2012) 1 गुवाहाटी विधिविधि रिपोर्ट 753 के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कथित मामले पर भी विश्वास व्यक्त किया है। इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट की इंफाल बेंच ने पुलिस की मनमानी पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मामले की अन्वेषण सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

26. अब, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए गुण-दोष और तर्कों पर आते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता - श्रीमती पुष्पा जोशी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री नवनीश नेगी द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को उठाने का प्रस्ताव करेगा, किन्तु याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रत्येक तर्क गन दोष पर कार्यवाही किये जाने से पूर्व, इस मामले के तथ्य पर ध्यान देना उचित है कि उत्तराखंड राज्य के विशिष्ट भू-भाग के कारण, स्वतंत्रता से पहले पुलिस की अन्वेषण, गिरफ्तारी जैसी अन्वेषण शक्ति राजस्व प्राधिकारियों को सौंपी गई है और बड़ी संख्या में मामलों में हमने राजस्व प्राधिकारियों को विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में मामले की अन्वेषण करते देखा है। इस न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि राजस्व निरीक्षक ने कई अन्वेषण की हैं और इससे बड़ी संख्या में व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है, यद्यपि , इस न्यायालय ने पहले ही निर्देश दिया था कि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अपराधों की अन्वेषण की अवधारणा उचित नहीं है, राज्य को इसे समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए। यद्यपि इस मामले में हुई इस घटना के समय यह जारी था, हमें सूचित किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्व पुलिस द्वारा अन्वेषण की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है और कई पर्वतीय

जिलों में पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यद्यपि , यह यहां विवाद नहीं है, इसलिए हम राजस्व पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण आदि की वैधता के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं। ।

27. हो सकता हैं कि सूचनाकर्ता और पीड़ित लड़की के पिता ने भी राजस्व प्राधिकारियों से संपर्क किया था और आरोप है कि राजस्व पुलिस ने अन्वेषण के लिए उचित कदम नहीं उठाए। बाद में, नियमित पुलिस ने अन्वेषण शुरू की और मामले की अन्वेषण के लिए पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया।

28. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एसआईटी पक्षपातपूर्ण अन्वेषण में संलिप्त है। पहली बात जो उजागर की गई है, वह यह है कि अपराध स्थल की कोई फोरेंसिक अन्वेषण नहीं हुई है, जिसे रिसॉर्ट में मृतक द्वारा कब्जा किए गए कमरे के रूप में अभिकथित किया गया है। यद्यपि , न्यायालय में मौजूद एसआईटी प्रमुख सुश्री पी. रेणुका देवी, डीआईजी, पुलिस ने कमरे की अन्वेषण करने वाली फोरेंसिक टीम की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की है। यद्यपि किसी भी डीएनए या फिंगर प्रिंट के आकार में कोई अपराध में संलिप्त करने वाली वस्तु नहीं मिली।

29. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत किया कि कमरे में बिस्तर पर पड़ी चादर को जब्त नहीं किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह एक पक्षपातपूर्ण अन्वेषण है, यद्यपि , इस न्यायालय ने पाया कि वैज्ञानिक टीम ने न केवल मृतक के कमरे की अन्वेषण की, बल्कि अभियुक्त द्वारा कब्जा किए गए कमरों की भी अन्वेषण की। यह केवल संयोग है कि उन्हें इसमें कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला। यह अपने आप में यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि अन्वेषण पक्षपातपूर्ण तरीके से या गलत दिशा में आगे बढ़ रही है।

30. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रेतर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया कि कमरे की फोरेंसिक अन्वेषण से पहले ही अपराध स्थल को नष्ट कर दिया गया था। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। कमरे की फोरेंसिक अन्वेषण की गई और अगली तारीख पर, माना जाता है कि कमरा नष्ट हो गया था। प्रत्यर्थीओं का कहना है कि यह केवल उस विशेष कमरे को नहीं बल्कि पूरे रिसॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया था। इस संबंध में समाचार पत्रों में विभिन्न रिपोर्टें आती हैं।

स्थानीय क्षेत्र के विधायक का बयान भी अन्वेषण अभिकरण ने दर्ज किया है। इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि रिसॉर्ट को नष्ट करने का आचरण जहां एक कमरे में मृतक भी रह रहा था, सबूतों को नष्ट करने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं है, बल्कि यह स्थानीय नेताओं की बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रिया और भावनात्मक आक्रोश है। तो उस आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्वेषण/ अन्वेषण गलत दिशा में नहीं बढ़ रही है।

31. मुख्य अभियुक्त का भाई अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बताया जाता है, लेकिन यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इस बीच, उसने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अभियुक्त के पिता, जो राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रत्यर्थीओं का दावा है कि उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है।

32. जहां तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिकॉर्डिंग का संबंध है, उन्होंने कहा है कि जब्ती की शक्ति एसडीएम के पास है, यह गलत धारणा के तहत हो सकता है कि एसडीएम क्षेत्र मजिस्ट्रेट होने के नाते मामले की निगरानी कर रहे थे। इसलिए, फोन की उक्त रिकॉर्डिंग, जिसे न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले की सुनवाई के समय चलाया गया था, इस न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि यह एक पक्षपातपूर्ण अन्वेषण है।

33. इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक फैक्ट्री को जलाने, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, फोरेंसिक साक्ष्य होंगे, के लिए किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया । यह पता नहीं चल पाया कि यह दुर्घटनावश लगी आग थी या किसी व्यक्ति ने जानबूझकर आयुर्वेदिक कारखाने को जलाया है क्योंकि पुलकित का रिसॉर्ट उसके बगल में स्थित है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि अन्वेषण अभिकरण या राज्य मशीनरी का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के किसी व्यक्ति ने आयुर्वेदिक कारखाने को जला दिया है।

34. जहां तक एम्स के दो विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि दी गई परिस्थितियों में, ये दो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर उपलब्ध हैं और एसआईटी ने उन्हें पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह दिखाने के लिए कोई प्राधिकार

प्रस्तुत नहीं है कि बलात्कार और हत्या के मामलों में, पोस्टमार्टम एक महिला डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए।

35. रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बहुत बल देकर कहा कि मृतका शिकायत कर रही थी कि उस पर मुख्य अभियुक्त पुलकित द्वारा अनैतिक तस्करी में शामिल होने और किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की सेवा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उसने पुलिस के सामने किए गए अपने कथित संस्वीकृति में कुछ भी नहीं कहा है और यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अन्वेषण अभिकरण को होना चाहिए था। सभी अभियुक्तगणों के पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए प्रार्थना की थी । यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सेल्वी v. कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263,** *के* मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि उस *किसी व्यक्ति को किसी भी आक्षेपित तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर करना "वास्तविक उचित प्रक्रिया" के मानक का उल्लंघन करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकने के लिए आवश्यक है। इस तरह का उल्लंघन इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि इन तकनीकों को अन्वेषण के दौरान या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जबरन प्रशासित किया गया है क्योंकि परीक्षण के परिणाम किसी व्यक्ति को गैर-दंडात्मक प्रकृति के प्रतिकूल परिणामों के लिए भी उजागर कर सकते हैं। लागू तकनीकों को वैधानिक प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है जो आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान चिकित्सा परीक्षा को सक्षम करते हैं अर्थात् आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53, 53-ए और 54 का स्पष्टीकरण। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी* अभिनिर्धारित किया *कि किसी भी व्यक्ति के साथ बलपूर्वक किसी तकनीक के विषयाधीन नहीं, चाहे वह आपराधिक मामलों के अन्वेषण के संदर्भ में हो या किसी अन्य मामले में। ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप होगा।* तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दांडिक न्याय के संदर्भ में आक्षेपित तकनीकों के स्वैच्छिक प्रशासन के लिए जगह छोड़ी बशर्ते कि कतिपय सुरक्षोपाय किए गए हों। यहां तक कि जब विषय ने इनमें से किसी भी परीक्षण से गुजरने की सहमति दी है, तो परीक्षण के परिणामों को स्वयं साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विषय परीक्षण के प्रशासन के दौरान प्रतिक्रियाओं पर सचेत नियंत्रण नहीं रखता है। यद्यपि , स्वैच्छिक प्रशासित परीक्षण परिणामों की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के

अनुसार स्वीकार किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में एक अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट (लाई डिटेक्टर टेस्ट) के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और "नार्कोएनालिसिस तकनीक" और "मस्तिष्क विद्युत सक्रियण प्रोफ़ाइल परीक्षण " के संचालन के लिए समान सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

36. किसी भी मामले में, नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफिक परीक्षण पुलिस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्परीक्षण का पालन करने के बाद किया जा सकता है। **सेल्वी v. कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263,** अन्वेषण की अग्रेतर की प्रक्रिया के सुराग लाने के लिए।

37. मामले की सुनवाई बंद होने के बाद, एसआईटी के प्रमुख द्वारा यह सूचित किया गया कि इस बीच, एसआईटी ने तीन अभियुक्तगणों का पॉलीग्राफिक और नार्को टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। उनमें से दो पहले ही इसके लिए सहमति दे चुके हैं, यद्यपि , अभियुक्तगणों में से एक सौरभ ने इसका जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। अभियुक्त पुलकित आर्य ने इस आशय की सशर्त सहमति भी दी है कि पूरे नार्को टेस्ट की उचित वीडियो रिकॉर्डिंग करके किया जाना चाहिए। आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल के समक्ष लंबित हैं। चूंकि सौरभ ने दस दिन का समय मांगा है, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों को पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को विश्लेषण परीक्षण के लिए अन्वेषण अधिकारी के अनुरोध पर विचार करते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने एसआईटी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए 22.12.2022 की तारीख तय की है। इस प्रकार, एसआईटी तीनों अभियुक्तगणों का पॉलीग्राफिक और नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसलिए, यदि सभी अभियुक्तगणों ने नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफिक परीक्षण के लिए सहमति दी, तो याचिकाकर्ताओं की शिकायत कि एसआईटी ने उपरोक्त परीक्षण के लिए कदम नहीं उठाए हैं, का निवारण किया जाएगा।

38. यदि किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को कोई अनुचित सेवा दी जानी थी, जिसके लिए मृतक को इस तरह की अवैध अनैतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए राजी किया जा रहा था और मजबूर किया जा रहा था, तो यह इस तरह के

परीक्षण में सामने आएगा। इस तरह के बयान स्वीकार्य होंगे या नहीं, यह प्रश्न विचारण न्यायालय को तय करना है।

39. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ (2020) 14 एससीसी 12**. के मामले पर विश्वास करते कहा कि इस मामले में, विभिन्न राज्यों में एक पत्रकार के विरुद्ध कई प्राथमिकियां(प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थीं, जो महाराष्ट्र राज्य में हुई एक विशेष घटना के संबंध में एक टीवी शो में उनके द्वारा चर्चा किए गए समाचार और विचारों के कारण हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि कई एफआईआर दर्ज करने से याचिकाकर्ता के नागरिक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार में हस्तक्षेप होता है। कई एफआईआर दर्ज करने से एक सूचित समाज सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकार का गला घोंट दिया जाएगा और राष्ट्र के शासन के मामलों को जानने के लिए एक नागरिक के रूप में उसकी स्वतंत्रता को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर को महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया है। उस मामले के तथ्य इस मामले के तथ्य से पृथक हैं।

40. **रिया चकरबोटी बनाम बिहार राज्य (2020) 20 एससीसी 184** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले की अन्वेषण बिहार राज्य से महाराष्ट्र राज्य को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा था। उस मामले के तथ्य यह हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाले एक युवा अग्रणी कलाकार की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। बिहार में उस फिल्म अभिनेता के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर द्वारा उसकी प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस मामले को बिहार से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, उपरोक्त मामले की वर्तमान मामले से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

41. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पुलिस याचिकाकर्ता संख्या 1 का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह अभिकथित किया गया कि इस घटना के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने एक अन्य लड़की के लापता होने और हत्या के बारे में हो-हल्ला मचाया, जो पहले उसी रिसॉर्ट में काम कर रही थी, जो गलत पाई गई थी। हम इसमें लगाए गए ऐसे

आरोपों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उप महाधिवक्ता ने रिट याचिका की सुनवाई के समय इस मुद्दे को अत्यधिक बल पूर्वक उठाया।

42. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीश नेगी आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक के माता-पिता को 25,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है और यह विश्वास करने का आधार है कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को इस मुद्दे को उठाने से चुप कराने की कोशिश कर रही है। इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथ पत्र की सावधानीपूर्वक अन्वेषण की, जिसमें उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसे राज्य सरकार से अनुग्रह राशि मिली है, लेकिन वह विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि इस तरह की अनुग्रह राशि देते समय, उसे या तो किसी राज्य सरकार के अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रभावित किया गया था या मामले को गुरुत्तर नहीं करने के लिए राजी किया गया था। ताकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीश नेगी का तर्क अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी सामग्री पर आधारित न होना प्रतीत होता हैं।

43. अत: अंतिम विश्लेषण में, इस न्यायालय की सुविचारित और दृढ़ राय है कि यद्यपि अन्वेषण के प्रारंभिक चरण में कुछ शुरुआती अड़चनें हो सकती हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक और नियमित पुलिस एसआईटी के गठन से पहले मामले की अन्वेषण कर रहे थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले की अन्वेषण पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ अनुचित दिशा में आगे बढ़ रही है। यद्यपि यह मामला निश्चित रूप से संवेदनशील है क्योंकि एक युवा लड़की की हत्या कर दी गई है और कुछ लोग जिस तरह से अन्वेषण चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्वेषण किसी विशेष हाई-प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने की दिशा में किया जा रही है। इस न्यायालय का यह विचार है कि डीआईजी रैंक के एक पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी, जो विभिन्न राज्यों से है, जिसका आईपीएस कैडर के सदस्य के रूप में स्पष्ट रूप से कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है और अन्वेषण का यथोचित अच्छा काम कर रहा है। यह सच है कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अन्वेषण एक विशेष दिशा में होनी चाहिए, लेकिन अन्वेषण के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह अन्वेषण अधिकारी है जो जानता है कि मामले की अन्वेषण को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

44. इस मामले के दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि रिट याचिका में कोई मैरिट/ बल नहीं है नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, हम राज्य सरकार को अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक मामलों से निपटने में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएं।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा)

(नियमानुसार इस निर्णय की तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान करें)